

# कार्यालय अधिष्ठाता

## शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 0751-2423128, 07522.....

Email ID- [datiamedicalcollege@gmail.com](mailto:datiamedicalcollege@gmail.com)

पता- कार्यालय अधिष्ठाता, ठंडी सड़क, 29 बटालियन के पास, एन.एच. 75, जिला दतिया म.प्र.

फैक्स नं. 0751-2430128, 07522-244553

website- [www.datiamedicalcollege.com](http://www.datiamedicalcollege.com)

क्रमांक- /द.चि.म./2017

दिनांक.

### प्रदर्शकों की भर्ती हेतु सूचना

मेडीकल काउंसिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नार्म्स के अनुसार 100 सीट एम.बी.बी.एस. हेतु निर्धारित प्रदर्शक के पदों हेतु संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल के आदेश क्र. 950-56/स्था/राज/2017 भोपाल दिनांक 29.09.2017 में प्रदत्त अनुमति के आधार पर दतिया चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया द्वारा पूर्व निर्धारित चयन प्रक्रिया के आधार पर प्रदर्शक (Demonstrator) के निम्नांकित रिक्त पदों पर स्वशासी संस्था द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

वेतनमान 15600 -39100+6000 ग्रेड पे

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्त पदों की संख्या	सामान्य	अनु.जा.	अनु.ज.जा.	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	प्रदर्शक	23	12	04	04	03

- (1) एनाटॉमी विभाग- 3 पद (2) फिजियोलॉजी विभाग- 03 पद (3) बायोकेमिस्ट्री विभाग- 03 पद  
(4) फार्माकोलॉजी - 02 पद (5) पैथोलॉजी विभाग- 04 पद (6) माइक्रोबायोलॉजी विभाग- 03 पद  
(7) फॉरेंसिक मेडिसिन- 02 पद (8) कम्युनिटी मेडिसिन- 03 पद

नोट :- ( F) - महिला, (ST) -अनुसूचित जनजाति, (SC) -अनुसूचित जाति, (OBC) -अन्य पिछड़ा वर्ग दर्शाता है। पदों की रिक्तियों की संख्या में कमी या वृद्धि हो सकती है।

प्रदर्शक के पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु आमंत्रित आवेदनों की शर्तें निम्नलिखित हैं :-


शर्तें- यह नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन होगी :-

संविदा अवधि :-

- अवधि**-यह नियुक्ति दतिया चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया स्वशासी संस्था के अंतर्गत नियमित नियुक्ति होगी, किन्तु यह नियुक्ति 02 वर्ष की परीक्षा की अवधि पर होगी। परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित की जावेगी।
- आयु सीमा**- न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। आयु सीमा में छूट म.प्र. शासन के नियमानुसार होगी।
- शैक्षणिक योग्यता** :- शैक्षणिक योग्यता एम.सी.आई. द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार रहेगी, उम्मीदवार को एम.सी.आई. से मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा न्यूनतम अर्हता एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण होगी। आवेदित उसी विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा डिग्री धारी एवं कार्य अनुभवधारी को प्राथमिकता दी जावेगी।
- आवेदन शुल्क** :- सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ रु. 750/- एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को रु. 500/- का बैंक ड्रॉफ्ट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी, अधिष्ठाता, दतिया चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के नाम संलग्न करना अनिवार्य होगा जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जावेगा। बैंक ड्रॉफ्ट के पीछे आवेदक का नाम, पता एवं किस पद के लिये आवेदन किया है उसका विषय एवं मोबाईल नं. लिखना अनिवार्य है।



5. आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि :- आवेदन पत्र दिनांक **10 नवम्बर 2017** तक अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो जाना चाहिये। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा तथा डाक द्वारा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्रों के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।
6. विज्ञप्ति की विस्तृत जानकारी संस्था की अधिकृत वेबसाइट [www.datiamedicalcollege.com](http://www.datiamedicalcollege.com) पर भी देखी जा सकती है।
7. उम्मीदवार एक से अधिक विभागों के लिये भी वैकल्पिक विभाग का चयन कर सकते हैं। उसके लिये अलग से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन यदि आवेदित वैकल्पिक विभाग में पद खाली रहते हैं तभी उनकी पदस्थापना महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार की जा सकती है।
8. साक्षात्कार (Interview) स्थान- अधिष्ठाता कार्यालय, दतिया चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया दिनांक **15 नवम्बर 2017** समय प्रातः 11 बजे से सायं 5:30 बजे तक, यदि उम्मीदवारों की संख्या अधिक रहती है तो साक्षात्कार आगामी दिवस तक जारी रहेगा। आवेदित उम्मीदवारों को साक्षात्कार (Interview) की किसी प्रकार की सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
9. संस्था की आवश्यकतानुसार एवं कार्य सुविधा की दृष्टि से अधिष्ठाता के आदेशानुसार चयनित उम्मीदवारों को किसी भी अन्य विभाग में पदस्थ किया जा सकता है।
10. इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त कोई भी व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के द्वारा शासित होगा।
11. इन नियमों के अंतर्गत पदावधि/परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के पूर्व दोनों पक्षों से एक माह पूर्व की नोटिस अथवा इसके बदले एक माह का वेतन देकर किसी भी समय सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।
12. इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त किसी भी व्यक्ति को राज्य शासन के समकक्ष वेतन प्राप्त कर्मचारियों की भांति चिकित्सा सुविधा एवं यात्रा भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
13. इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त किसी भी व्यक्ति को पेंशन सुविधाओं की पात्रता नहीं होगी।
14. इन नियमों के अंतर्गत नियुक्त किसी भी व्यक्ति को एक वर्ष में 13 दिन के अकास्मिक अवकाश एवं 3 ऐच्छिक अवकाश व शासन के नियमानुसार प्रसूति एवं चिकित्सा अवकाश की पात्रता होगी, लेकिन अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश एवं ग्रीष्मावकाश की पात्रता नहीं होगी।
15. प्रैक्टिस के सम्बन्ध में राज्य शासन के प्रचलित नियम लागू होंगे।
16. यदि आरक्षित वर्ग के चिकित्सक नहीं मिलते हैं तो उस स्थिति में उन पदों को उपलब्ध चिकित्सकों से भी भरा जा सकता जब तक आरक्षित वर्ग के पदों के लिये योग्य उम्मीदवार नहीं मिल जाते।
17. आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को तत्संबंध के प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। आरक्षण का लाभ केवल म.प्र. के मूलनिवासी को ही दिया जायेगा।
18. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ संलग्न करना अनिवार्य होगा :-
  - I. आयु के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्ड्री परीक्षा प्रमाण पत्र।
  - II. एम.बी.बी.एस. परीक्षा सम्बन्धी प्रत्येक वर्ष की अंकसूची।
  - III. एम.बी.बी.एस./एम.डी./एम.एस. डिग्री डिप्लोमा संबंधित विषय में।
  - IV. स्नातकोत्तर उपाधि संबंधी अटेम्प्ट प्रमाण पत्र।
  - V. किसी चिकित्सा महाविद्यालय में शैक्षणिक कार्य किया हो उसका अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
  - VI. कोई अन्य विशेष योग्यता- जैसे कि राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय रिसर्च पेपर का प्रकाशन/राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय खेल में भाग लेना।
  - VII. शासकीय सेवा तथा अन्य संस्थान में कार्यरत उम्मीदवार उचित माध्यम से नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित आवेदन करें।
19. उक्त नियुक्तियों में मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित आरक्षण नियमों का पालन किया जावेगा। साक्षात्कार के समय उपरोक्त समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।
20. ज्वाइनिंग के पहले स्वयं के व्यय पर पुलिस वेरीफिकेशन एवं सिविल सर्जन बोर्ड द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।
21. यदि आप विवाहित हैं, वर्तमान में आवेदन दिनांक तक आपकी कितनी जीवित संतान हैं इसका भी उल्लेख करें। दो से अधिक जीवित संतान वाले व्यक्ति को आवेदन की पात्रता नहीं होगी।

  
अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय  
स्वशासी संस्था, दतिया (म.प्र.)



प्रदर्शक के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप  
(आवेदक निम्न प्रारूप अनुसार सुस्पष्ट अंकित आवेदन-पत्र प्रस्तुत करें)

नवीनतम कलर  
फोटो चस्पा करें

विज्ञापन क्रमांक.....  
अंतिम तिथि.....  
आवेदित पद..... विषय-.....

नोट :- सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

1. बैंक ड्रॉफ्ट क्रं..... दिनांक..... राशि.....  
बैंक का नाम.....
2. आवेदक का नाम.....
3. पुरुष/महिला.....
4. पिता/पति का नाम (उपनाम सहित).....
5. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....  
..... फोन नं.....  
शहर का नाम..... मोबाईल नं.....
6. स्थायी पता.....  
..... फोन नं.....  
शहर का नाम..... मोबाईल नं.....
7. जन्मतिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न करें).....
8. विज्ञापन जारी होने की दिनांक को आवेदक की आयु..... दिन..... माह..... वर्ष.....
9. क्या आप म.प्र. के मूल निवासी है हाँ/नहीं.....  
(म.प्र. शासन द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
10. जन्म स्थान - शहर..... जिला..... राज्य.....
11. वर्ग-सामान्य/अनुजाति/अनुजनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग.....  
(आरक्षित श्रेणी हेतु म.प्र. शासन द्वारा नामित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
12. मेडीकल काउंसिल का पंजीयन क्रमांक, दिनांक एवं नाम.....  
(मेडीकल काउंसिल द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)
13. शैक्षणिक योग्ताए (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

क्र.	उत्तीर्ण की गई परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड/वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक	प्रतिशत

14. अन्य विशेष योग्यता एवं अध्यापन का अनुभव (प्रमाण-पत्र) संलग्न करें।
15. संलग्न प्रमाण-पत्रों की सूची.....

स्थान.....  
दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम  
एवं हस्ताक्षर

**प्रमाण-पत्र**

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्णत सत्य है। जानकारी सत्य न होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा। मुझ पर म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं स्वशासी समिति दतिया चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के संविदा सेवा के नियम 2000 पूर्ण रूपेण बंधनकारक होंगे।

दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम  
एवं हस्ताक्षर